

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

पत्रांक: 628 / यू.पी.रेरा / तक.सोल / 2024-25

दिनांक: 23/01/2025

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण
3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण।
4. समस्त भू-सम्पदा संप्रवर्तक,
उत्तर प्रदेश।

विषय: उ.प्र. रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं के प्रचार-प्रसार के नियम व शर्तें।

महोदय,

भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने हेतु भारत सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 का गठन किया गया है। भू-सम्पदा अधिनियम के प्रभावी होने के उपरान्त संप्रवर्तक/विकासकर्ता भू-सम्पदा परियोजना को उ.प्र. रेरा में पंजीकृत कराये बिना विज्ञापित, विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय करने की प्रास्थापना अथवा क्रय के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं कर सकता है।

किसी भी उत्पाद के विक्रय में विज्ञापन/प्रचार-प्रसार की अहम भूमिका होती है। उपभोक्ता तक प्रमाणिक तथा वास्तविक उत्पाद पहुँचाने के लिए सटीक विज्ञापन किया जाना आवश्यक है। उ.प्र. रेरा द्वारा विज्ञापन को प्रमाणिक बनाने हेतु परियोजना के प्रचार-प्रसार में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख करना अनिवार्य बनाया गया है-

1. प्रत्येक प्रचार सामग्री (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया), आवेदन पत्र, आवंटन पत्र, ब्रोशर, वीडियो आदि में निम्नलिखित का उल्लेख किया जाना आवश्यक है-
 - i. पंजीकरण प्रमाणपत्र (फॉर्म सी) में दिया गया क्यूआर कोड
 - ii. रेरा पंजीकरण संख्या (UPRERAPRJxxxxxx/xx/xxxx)
 - iii. प्राधिकरण की वेबसाइट (<https://www.up-rera.in>)
 - iv. परियोजना Collection Bank Account No.
2. परियोजना के फॉर्म-सी में निर्गत रेरा प्रमाण-पत्र को मुख्य कार्यालय, साइट कार्यालय और परियोजना स्थल पर अधिमानतः A3 आकार के फोटो फ्रेम में प्रदर्शित किया जाये।
3. निर्माण और निर्माण सामग्री और विद्युत सुरक्षा के लिए नवीनतम एनवीसी, वीआईएस

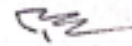
कोड के प्रावधानों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाये।

4. प्रत्येक तिमाही के अंत के 15 दिनों के भीतर क्यूपीआर भरे जाये।

अतः भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अपेक्षा करता है कि उपरोक्त नियम एवं शर्तों का आप द्वारा अक्षरशः पालन किया जायेगा। यह भी ध्यातव्य है कि विन्ना पंजीयन परियोजना में प्रचार-प्रसार किये जाने से धारा-3 के उल्लंघन पर धारा-59 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। इसी प्रकार विज्ञापन के सम्बन्ध में रेरा के आदेशों का उल्लंघन अधिनियम की धारा-61 एवं 62 में दण्डनीय है।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,



(प्रमोद कुमार उपाध्याय)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तैदव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
2. सहायक निदेशक सिस्टम, उ.प्र. रेरा को आलेख पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
3. वैयक्तिक सहा., मा. अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा।



(प्रमोद कुमार उपाध्याय)

सचिव